भूपेश-चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

- शराब घोटाले में हाई कोर्ट जाने को कहा, नई याचिका पर कल होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया● रायपुर : प्रदेश में 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को व्यक्तिगत राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से मामले की प्राथमिकता से सुनवाई करने का आग्रह किया।

पिता-पुत्र ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच, चैतन्य की गिरफ्तारी और पूछताछ की वैधता को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत राहत की मांग पहले हाईकोर्ट में उठानी होगी। इसके साथ ही, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की शक्तियों की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर चुनौती पर नई याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।

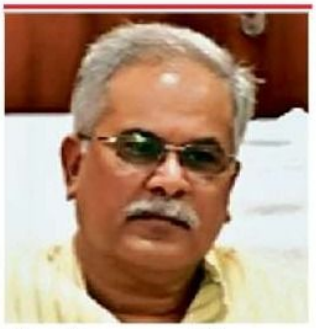

भूपेश बघेल ● फाइल फोटो

कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया।● नईदुनिया

जेल में मनेगी चैतन्य की राखी 18 तक न्यायिक हिरासत में

रायपुर सेंट्रल जेल में बंद चैतन्य बघेल को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। यानी राखी जेल में ही मनेगी। चैतन्य को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां विशेष न्यायाधीश ने न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य को उनके जन्मतिथि पर गिरफ्तार किया था। अब चैतन्य को 18 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।